

www.MINEPORTAL.in





Conditions for Haul Roads in opencast coal mines

CLICK ON THE LINKS TO JOIN VARIOUS MINING EXAM PREPARATION TELEGRAM GROUP

METAL FIRST/SECOND CLASS EXAM TELEGRAM GROUP

COAL FIRST/SECOND CLASS EXAM TELEGRAM GROUP

MINE OVERMAN/SIRDAR EXAM TELEGRAM GROUP

GATE MINING EXAM TELEGRAM GROUP

STUDY MARERIAL/NOTES TELEGRAM GROUP

MINING JOBS TELEGRAM GROUP

MINING MATE/FOREMAN/BLASTER GROUP

DISCUSSION FORUM

COAL INDIA LTD EMPLOYEES' SUBSIDIARY MUTUAL TRANSFER FORUM

USER NOTES

301-500 m	5.5 m/sec.
501-700 m	7 m/sec.
701-1000 m	8 m/sec.
1001-1500 m	10 m/sec.
Above 1500 m	12 m/sec.

In case of sinking shaft, the maximum man-winding rope speed shall not exceed 1.5 m/sec for depths up to 150 metres, 2.5 m/sec for depths from 151 metres to 500 metres and 3 m/sec for depths exceeding 500 metres.

Note: The maximum speeds for man winding in coal mines recommended in view of shaft conditions and functioning of automatic contrivance, however the speed shall be fixed by the mines manager in consultation with engineer, but shall not exceed above mentioned maximum speeds to avoid overwinding/hard-landing.

[F. No. Z-20045/01/2018/S&T(HQ)]

PRASANTA KUMAR SARKAR, Chief Inspector of Mines

अधिसूचना

धनबाद, 1 अक्तूबर, <mark>2</mark>018

सा.का.नि. 976(अ).—कोयला खान विनियम 2017 के विनियम 101, के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, प्रशांत कुमार सरकार, मुख्य खान निरीक्षक, खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी नामित, एतद्द्वारा विर्निदिष्ट करता हूँ कि ट्रक और डंपर्स के लिए सड़कों के मानक और मापदंड निम्नानुसार होगी:

हाउल रोड के लिए शर्तें (देखें 101 विनियम)

- (1) ट्रक, टिपर्स, डंपर्स या अन्य मोबाइल मशीनरी के लिए सभी सड़कों का निर्माण उनकी भार क्षमता के अनुरूप किया जाएगा और उसे अच्छी हालत में बनाए रखा जाएगा। केवल निर्धारित बिंदुओं के बीच और प्रबंधक द्वारा लिखित में अनुमित के बिना एच. ई. एम. एम. के अलावा कोई भी वाहन का उपयोग हॉल रोड पर नहीं किया जाएगा।
- (2) प्रत्येक ओपनकास्ट खान के हॉल रोड का डिजाइन, निर्माण, आयाम और लेआउट कंपनी के स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।
- (3) ओपनकास्ट वर्किंग्स में सभभ् सड़कों में "एकतरफा सड़क यातायात" की व्यवस्था किया जाएगा जिसकी न्यूनतम चौड़ाई सड़क पर चलने वाले सबसे बड़े वाहन की चौड़ाई से 5 मीटर अधिक होगी। जहां यह व्यवहारिक नहीं होगा उस जगह सड़क की न्यूनतम चौड़ाई सबसे बड़े वाहन की चौड़ाई की तीन गुना से 5 मीटर अधिक होगी।
- (4) सड़क के सभी मोड़ एवं किनारों को इस प्रकार बनाया जाएगा ताकि वाहन के चालक को कम से कम ब्रेक्रिक दूरी (निर्माता द्वारा निर्धारित की गई ब्रेकिक दूरी जब एच.इ.एम.एम. की रफ्तार 40 किलो मीटर प्रति घंटा हो) के तीन गुना तक साफ दिखाई दे।
 - जहां ऊपर वर्णित दूरी के लिए दृश्यता सुनिश्चित करना संभव नहीं है, वहां पर्याप्त रोशनी के साथ सड़क के मध्य में एक मजबूत सड़क विभाजक इस प्रकार बनाई जाएगी ताकि प्रत्येक सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई सबसे बड़े वाहन की चौड़ाई के दोगुना से 3 मीटर अधिक होगी।
- (5) कोई सड़क की ढाल 16 में 1 से अधिक नहीं होगी।

 रैंप का उपयोग केवल क्रॉलर माउंटेड मशीनों के लिए किया जाएगा, न कि टायर माउंटेड मशीनों के लिए। रैंप की ढाल 10 में 1 से अधिक नहीं होगी और इसकी लंबाई एक जगह में 5: मीटर से ज्यादा नहीं होगी।
- (6) जहां हाउल रोड आसपास के क्षेत्र के लेवल से उचाई पर मौजूद हो वहाँ निम्नलिखित पैरामीटर की मजबूत पैरापेट दीवार /तटबंध प्रदान की जाएगी:

- i) शीर्ष पर चौड़ाई 1 मीटर से कम नहीं होगी।
- ii) नीचे चौड़ाई 2.5 मीटर से कम नहीं होगी।
- iii) ऊंचाई सड़क पर चलने वाले वाहनों की सबसे बड़ी टायर की व्यास से कम नहीं होगी।

मिट्टी या ओवरबर्डन के डंपिंग को मजबूत पैरापेट दीवार के रूप में नहीं माना जाएगा।

- (7) खान परिसर में चलने वाले हल्के वाहनों के लिए अलग सड़क की व्यवस्था की जाएगी। जहां यह व्यावहारिक नहीं है वहाँ पर उन वाहनों के लिए निर्दिष्ट टर्नआउट, क्रॉसिंग पॉइंट्स और प्रतीक्षा बिंदु बनाए जाएंगे।
- (8) पैदल यात्री या दो पहिया वाहन को ट्रक, टिपर्स, डंपर्स या अन्य मोबाइल मशीनरी के लिए बनाई गई सड़क पर यात्रा करने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- (9) ड्राइवरों के मार्गदर्शन के लिए, विशेष रूप से रात के समय में, हर मोड़ पर फ्लोरोसेंट पेंट के साथ सड़क संकेत बनाए जाएंगे।
- (10) प्रत्येक मोड़, पैरापेट दीवारों, लंबवत खंभा (भर्टिकल पोस्ट) पर 'ज़ेबरा' लाइन दिया <mark>जाए</mark>गा ताकि ड्राइवरों को, विशेष रूप से रात के समय में. परिवहन वाहन को हाल रोड़ के सही रास्ते पर रखने में मदद मिलेगी।
- (11) उचित जल निकासी प्रणाली को सड़क के एक तरफ मुहैया कराया जाएगा और बनाए रखा जाएगा।

जहां विशेष स्थिति मौजूद है और उपरोक्त किसी भी प्रावधान को <mark>लागू करना संभव</mark> नहीं हो पा रहा हो, तो खान क्षेत्रीय निरीक्षक किसी अन्य उचित विधि को बनाए रखने के लिए अनुमति दे सकता है।

[संचिका सं<mark>ख्</mark>या जेड-20045/01/2018/वि.एवं त.(मृ.)]

प्रशांत कुमार सरकार, मुख्य खान निरीक्षक

NOTIFICATION

Dhanbad, the 1st October, 2018

G.S.R. 976(E).—In exercise of the powers conferred on me as Chief Inspector of Mines, under Regulation 101 of the Coal Mines Regulations 2017, I, Prasanta Kumar Sarkar, Chief Inspector of Mines, also designated as the Director General of Mines Safety, hereby, specify the standards and parameters of haul roads for trucks and dumpers as follows:

Conditions for Haul Roads

(See Regulation 101)

- (1) All roads for trucks, tippers, dumpers or other mobile machinery shall be constructed to suit their load capacity and maintained in good condition. No vehicle other than HEMM shall be used on haul roads except between designated points and when permitted in writing by the manager.
- (2) Design, construction, dimension and layout of haul roads shall be laid down at company level in respect of each opencast mine.
- (3) All haul roads in opencast workings shall be arranged to provide one way traffic having width of the largest vehicle plying on that road plus 5m. Where this is not practicable, no road shall be of a width less than three times width of the largest vehicle plying on that road plus 5m.
- (4) All corners and bends on roads shall be made in such a way that the operators of vehicles have a clear view of distance of not less than 3 times the breaking distance as specified by the manufacturer in respect of the HEMM speeding at 40 Km/hour.

Where it is not possible to ensure a visibility for a distance as mentioned above, there shall be provided with two separate roads of width not less than 2 times plus 3m of largest vehicle plying on the road with a strong road divider at centre with adequate lighting and reflector along the divider.

(5) No road shall have a gradient steeper than 1 in 16.

Ramps shall be used for crawler mounted machines only and not for tyre mounted machines. Gradient of ramps shall not be steeper than 1 in 10 and its length shall not be more that 50m at one stretch.

- (6) Where any road existing above level of surrounding area, it shall be provided with strong parapet wall/embankment of following dimensions:
 - i) Width at top-not less than 1 m.
 - ii) Width at bottom-not less than 2.5m.
 - iii) The height not less that the diameter of the largest tyre of the vehicles plying on the road.

Dumping of mud or overburden shall not be treated as strong parapet wall.

- (7) Separate haul road shall be provided for light vehicles plying in the mine premises. Where it is not practicable, definite turnouts, crossing points and waiting points shall be designated for use of vehicles.
- (8) Pedestrian or two wheelers shall not be allowed to travel on the haul road made for trucks, tippers, dumpers or other mobile machinery.
- (9) Road signs with fluorescent paint shall be provided at every turning point for guidance of drivers especially at night times.
- (10) At every curve, parapet walls or vertical posts with 'Zebra' line shall be provided to help the drivers to keep the transport vehicle on the track especially at night times.
- (11) Suitable drainage system shall be provided and maintained on one side of the haul road.

Where special condition exists, the Regional inspector may permit the haul road to be maintained in variance of aforesaid conditions.

[F. No. Z-20045/01/2018/S&T(HQ)]

PRASANTA KUMAR SARKAR, Chief Inspector of Mines

अधिसूचना

धनबाद, 1 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 977(अ).— कोयला खान विनियम, 2017 के विनियम 129, उप-विनियम (8) के प्रावधान के अनुसार, मैं, प्रशांत कुमार सरकार, मुख्य खान निरीक्षक, खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी नामित, एतद् द्वारा विर्निदिष्ट करता हूँ कि ओपनकास्ट और भूमिगत खान में सरदार के ड्यूटी का दैनिक निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप निम्नानुसार होगा:

कोयला खान विनियम, 2017 के विनियम 129, उप-विनियम (8) के तहत खदान के ओपेनकास्ट कार्यस्थल में सरदार का दैनिक निरीक्षण प्रतिवेदन:

मैं अधोहस्ताक्षरी, विनियमन 129 (8) के तहत विधिवत नियुक्त और अधिकृत व्यक्ति होने के नाते, इस बात की घोषणा करता हं कि मैंने सावधानी से अपने कार्यक्षेत्र की जांच की है और उसकी अनुवर्ती रिपोर्ट इस प्रकार है:

खदान का नाम					
मालिक का नाम					
दिनांक					
शिफ्ट और शिफ्ट के घं	टे				
जिससे कार्यभार	लिया, उसका	नाम		 (समय)	
(तारीख)			विश्राम का अंतराल:	से	

निरीक्षण अवधि का विवरण